# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

**प्रकरण संख्या – डिक्री 110 सन् 2015**
**पंजीयन दिनांक 21.07.2015**

1. नानुराम पिता चतुर्भुज जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
2. भीमा पिता चतुर्भुज जाति जाट –मृतक के बजाय
   1. उदीबाई पत्नि भीमा जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
   2. देवजी पिता भीमा जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
3. मांगी पुत्री चतुर्भुज जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
4. बाली पुत्री चतुर्भुज जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट्गण

विरुद्ध

1. लालु पिता भोला जाति जाट–मृतक के बजाय
   1. रतनलाल पिता लालुराम जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. गीता देवी पुत्री लालुराम जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   3. मांगी बेवा लालुराम जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. शंकर पिता भोला जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. भुवाना पिता रामा जाति जाट–मृतक के बजाय
   1. मोटाराम पिता भुवाना जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. प्यारी पत्नि उदा जाति जाट निवासी गुलजी का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
5. केसर पत्नि लक्ष्मण जाति जाट निवासी गुलजी का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. वरदी पत्नि सोहनलाल जाति जाट निवासी रूद का खेडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
7. नंदा पिता भुरा जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
8. गोपी पिता भुरा जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
9. चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
10. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बुढ जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बुढ तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
11. चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
12. सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

13. सरकार जरिये उप-पंजीयक गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 56/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015

उपस्थित- 1 रतनलाल जाट -अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. संजय मौड-रेस्पोडेन्ट सं.1/1 से 1/3
3. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक-12 व 13

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

**निर्णय** **दिनांक 27.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कुरातियां तहसील गंगरार मे रेस्पोडेन्ट वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य तथा खातेदारी की आराजीयात स्थित है जिसकी खाता सं. 12 मे दर्ज आराजी नम्बर 176, 177, 216, 217, 220, 264, 272, 273 कुल किता 8 कुल रकबा 4.63 हैक्टेयर व खाता सं. 44 मे दर्ज आराजी नम्बर 178, 179, 181, 182, 183, 210, 211, 214, 215, 218, 219, 265, 268, 269,270,271,275,276,277,527,531,533 कुल किता 22 कुल रकबा 3.16 हैक्टेयर व खाता सं. 21 मे आराजी नम्बर 188,244,263,280,281 किता 5 रकबा 0.78 हैक्टेयर व खाता सं. 22 मे दर्ज आराजी नम्बर 179,191,278,279 किता 4 रकबा 0.13 हैक्टेयर है। रेस्पोडेन्ट वादी ने अपने वादपत्र मे पारिवारिक सजरा अपीलान्टगण के पिता चतुर्भुज को चमना का गोदपुत्र बताकर अपीलान्टगण के नैसर्गिक दादा से नैसर्गिक पिता चतुर्भुज को विरासत मे प्राप्त 1/3 हिस्सा चतुर्भुज को प्राप्त हुआ। चतुर्भुज की मृत्यु के उपरान्त चतुर्भुज के वारिस अपीलान्टगण को प्राप्त हुआ। परिशिष्ट-ब,स,द वाली कृषि आराजीयात जो कालु पिता रघुनाथ से चली आ रही है। उसमे से कालु के 3 पुत्र भोला,रामा, चतुर्भुज को कालु की मृत्यु के उपरान्त विरासत से रेवेन्यू रेकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। चतुर्भुज की मृत्यु के पश्चात् चतुर्भुज के वारिस अपीलान्टगण के नाम दर्ज रेकार्ड होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है। परन्तु रेस्पेडेन्ट वादी ने परिशिष्ट-अ वाली आराजीयात जो रघुनाथ की मृत्यु के पश्चात् चमना को प्राप्त हुई। चमना से लेहरू पिता माधु जाट को विक्रय कर दी थी तथा लेहरू पिता माधु जाट निवासी सुदरी वालो से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 08.08.1961 को अपीलान्टगण के पिता चतुर्भुज ने क्रय की, जो स्वअर्जित आराजीयात है। अर्थात् परिशिष्ट-अ वाली कृषि आराजीयात चमना से प्राप्त नही हुई है। परिशिष्ट-ब,स,द कालु की विरासत से अपीलान्टगण का हिस्सा विलोपित कराने हेतु व इन्द्राज दुरस्ती घोषणा का अनुतोष चाहा।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलान्ट व अन्य प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्टगण 6,7,8,9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 17.01.2013 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। जवाबदावे मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत सभी तथ्यो को अस्वीकार किया गया। यह निवेदन किया गया कि अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के पिता चतुर्भुज को चमना से कोई कृषि आराजीयात प्राप्त नही हुई है। चतुर्भुज के द्वारा लेहरू पिता माधु से जरिये पंजीकृत बहनामा परिशिष्ट-अ वाली आराजीयात क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। अपीलान्टगण के पिता चतुर्भुज का विवादित आराजीयात मे 1/3 हक व हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। चतुर्भुज का चमना के गोद जाने का तथ्य अस्वीकार है। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली प्रतिवादी सं. 5,11,15,13 की तलबी हेतु नियत थी। उक्त पत्रावली को दिनांक 26.06.2015 को बिना सूचना पत्र दिये लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना राजीनामा व बिना किसी साक्ष्य व सबुत के रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 5 रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 6 की खातेदारी की घोषित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित कर दी।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 6 से 9 प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 12 व 13 अनुपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण 6 से 9 की ओर से अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था। व जवाबदावे मे वादपत्र मे वर्णित सभी तथ्यो को अस्वीकार किया गया। चतुर्भुज को चमना के गोद जाने के तथ्य को भी अस्वीकार किये। यह तथ्य अंकित किये कि परिशिष्ट-अ वाली कृषि आराजीयात अपीलान्टगण के पिता चतुर्भुज ने लेहरू पिता माधु जाट से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति मे चतुर्भुज का चमना के गोद जाने का तथ्य अस्वीकार है। उक्त आशय का जवाबदावा अपीलान्टगण प्रतिवादीगण 6 से 9 की ओर से दिनांक 17.01.2009 को अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली शेष प्रतिवादीगण के तामील हेतु विचाराधीन थी। उक्त प्रकरण को निर्णित किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र डिक्री किया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय को राजस्व रेकार्ड के अनुसार होना व प्रकरण विचारण न्यायालय मे विचाराधीन होने से उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत मे नियत की है। पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री यह मानते हुए पारित की गई है कि विवादित कृषि आराजीयात कालु की है। चतुर्भुज चमना के गोद चला गया जिससे कालु की विरासत मे चतुर्भुज का कोई हक व हिस्सा नही

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

होकर भोला व रामा के वारिसान ही उत्तराधिकारी है। फिर भी कालु की विरासत मे चतुर्भुज का नाम दर्ज कर दिया। चतुर्भुज की मृत्यु के उपरान्त अपीलान्टगण का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है। जिससे अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर चतुर्भुज के वारिसान अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 6 से 9 का नाम हटाया जाकर उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 से जो भोला व रामा के वारिसान के नाम दर्ज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिनुसार है। अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 6 से 9 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 12 व 13 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण बताते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण प्रतिवादीगण 6 से 9 ने गलत तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की जावे।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 13 प्रतिवादीगण के विरूद्ध कृषि आराजीयात की घोषणा इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.08.2012 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण व अन्य रेस्पोडेन्टगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 6 से 9 अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 17.01.2013 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया व जवाबदावे के साथ दस्तावेजी साक्ष्य पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति व नकल जमाबन्दी संवत् 2031-2034 व नकल जमाबन्दी संवत् 2009-2012 नकल जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट मिलान खसरा की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 6 से 9 ने पंजीकृत बहनामा प्रस्तुत किया है, जिसमे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के पिता चतुर्भुज ने लेहरू पिता माधु जाट से मौजा कुरातिया की आराजीयात रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा मे से 1/3 हिस्सा क्रय किया है। बकाया जो आराजीयात उसके खाते मे दर्ज रेकार्ड रही है जो चमना की होकर चमना के कोई संतान नही होने से गोद पुत्र की हैसियत से चतुर्भुज पिता चमना जाट के नाम दर्ज रेकार्ड है व चतुर्भुज का स्वर्गवास होने के पश्चात् अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 6 से 9 जो चतुर्भुज के वारिस है के नाम दर्ज हुई है। इसी के साथ चतुर्भुज स्वर्गीय कालु का पुत्र था जो कि चमना के गोद गया था। चमना की सम्पूर्ण विरासत के साथ उसके प्राकृतिक पिता की विरासत मे अपने भाईयो के साथ अपना नाम भी अंकित करवा उसके स्वर्गवास के पश्चात् अपीलान्टगण प्रतिवादीगण 6 से 9 का नाम जरिये विरासत दर्ज हो जाना राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है। अपीलान्टगण के पिता चतुर्भुज अपने नैसर्गिक कालु के भाई चमना पिता रघुनाथ के गोद चला गया जिससे कालु की विरासत मे अपने अधिकार समाप्त कर चुका था। फिर भी राजस्व रेकार्ड मे अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 6 से 9 के पिता चतुर्भुज का नाम भी अंकित कर दिया गया। उसके आधार पर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के नाम विरासती नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया, जिसे दुरस्त करने का रेस्पोडेन्टगण सं. 1 ने घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती का वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसमे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

किया। उक्त जवाबदावा का अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अवलोकन किया जिसमे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने यह साबित नही किया है कि चमना की विरासत चतुर्भुज को गोदपुत्र की हैसियत से प्राप्त नही हुई है जबकि राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि चमना जो कालु का भाई था, जिसकी सम्पूर्ण विरासत गोदपुत्र की हैसियत से चतुर्भुज को प्राप्त हुई है, साथ ही कालु की विरासत मे भी अपने भाई भोला व रामा के साथ चतुर्भुज का नाम भी राजस्व रेकार्ड मे अंकित है। चतुर्भुज की मृत्यु के पश्चात् अपीलान्टगण जो चतुर्भुज के उत्तराधिकारी है का नाम अंकित हो जाना प्रमाणित होता है। जब अपीलान्टगण के पिता चतुर्भुज चमना पिता रघुनाथ के गोद चले गये थे। ऐसी स्थिति मे चतुर्भुज ने अपने प्राकृतिक पिता की विरासत मे भी बिना अधिकार के विरासत प्राप्त की है। हमने पत्रावली के परीक्षण से यह पाया है कि अपीलान्टगण प्रतिवादीगण 6 से 9 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे जवाब प्रस्तुत कर परिशिष्ट-अ वाली सम्पूर्ण कृषि आराजीयात क्रय करना बताया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 08.08.1961 मे मात्र 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि क्रय करना साबित है। जवाबदावे के साथ राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है, जिसमे भी अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 6 से 9 के पिता चतुर्भुज, चमना पिता रघुनाथ के गोद चले गये थे जो राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है, फिर भी राजस्व कर्मचारियो ने चतुर्भुज के चमना का गोद पुत्र होते हुए भी राजस्व रेकार्ड मे चतुर्भुज पिता चमना दर्ज किया है। रेस्पोडेन्ट वादी ने यह दुरस्ती भी चाही है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उक्त दाद नही देते हुए कालु की विरासत मे चतुर्भुज के उत्तराधिकारियो का नाम हटाने की ही निर्णय व डिक्री पारित की है, जिससे अपीलान्टगण के पिता चतुर्भुज पिता चमना के बजाय राजस्व रेकार्ड मे चतुर्भुज मुत्तबन्ना चमना दर्ज किये जाने का आदेश देते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र स्वीकार कर स्वर्गीय कालु की विरासत मे चतुर्भुज व चतुर्भुज के वारिसान अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 6 से 9 के नाम हटाये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है, जो न्यायोचित होने से अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 6 से 9 की ओर से प्रस्तुत अपील संहवनीय नही होने से निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 6 से 9 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 56/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015 यथावत रखी जाती है। चमना की विरासत मे चतुर्भुज पिता चमना के बजाय चतुर्भुज मुत्तबन्ना चमना दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

संख्यांक 9

**अपील में डिक्री**

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीणा (आर.ए.एस.)

**अपील सं. 110/2015 /डिक्री**

(1) श्री नानुराम पिता चतुर्भुज जाति जाट निवासी कुरातिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
(2) मीमा पिता चतुर्भुज जाति जाट मृतक के बजाय-
1. डालीबाई पत्नि मीमा जाति जाट निवासी कुरातिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. देवजी पिता मीमा जाति जाट निवासी कुरातिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
(3) मांगी पुत्री चतुर्भुज जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
(4) बाली पुत्री चतुर्भुज जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलान्ट

बनाम

(1) श्री लालु पिता भोला जाति जाट मृतक के बजाय-
1. रतनलाल पिता लालुराम जाति जाट निवासी कुरातिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. गीता देवी पुत्री लालुराम जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3 मांगी बेवा लालुराम जाति जाट निवासी कुरातिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
(2) शंकर पिता भोला जाति जाट निवासी कुरातियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
(3) भुवाना पिता रामा जाति जाट मृतक के बजाय –

-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार दि. 26-06-2015 प्रकरण से 56/2012 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 27-06-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रतनलाल जाट रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री संजय मोड़ - रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/3 रणमल स्वर्णकार - राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 12 ता 13 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण संख्या 6 से 9 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्यां 56/2012 व डिक्री दिनांक 26-05-2015 यथावत रखी जाती है। चमना की विरासत से चतुर्भुज पिता चमना के बजाय चतुर्भुज मुतबन्ना चमना दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि — रुपये हैं, — द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे — द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 27-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

हरिसिंह मीणा (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 27-06-2022

अपील खर्चे :

| अपीलान्ट | रूपये | रेस्पोडेन्ट | रूपये |
|---|---|---|---|
| 1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प | | 1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3. आदेशिकाओं की तामील | | 3. आदेशिकाओं की तामील | |
| 4. ............... रू. पर प्लीडर की फीस | शून्य | 4. ............... रू. पर प्लीडर की फीस | शून्य |
| योग | | योग | |